

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

----00----

क्रमांक GENS/20440/2026/38-2  
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दि. 15.06.2026

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
इन्द्रावती भवन,  
नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)।

विषय:- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शारीरिक शिक्षण शुल्क में वृद्धि संबंधी आदेश जारी करने विषयक।

संदर्भ:- आपका प्रस्ताव क्रमांक GENS-11/2893/2026-SAMNVAY दिनांक 18.03.2026

---00---

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 6077 एफ-15-35/2009/38-1 दिनांक 06.07.2010 में शारीरिक कल्याण शुल्क (स्पोर्ट फीस) 10 माह के लिए रु. 150/- लिया जाए, जिसमें रु. 100/- महाविद्यालय एवं रु. 50/- विश्वविद्यालय को देने का प्रावधान किया गया था।

राज्य शासन एतद् द्वारा, शारीरिक कल्याण शुल्क रु. 150/- प्रति छात्र के स्थान पर रु. 200/- प्रति छात्र किया जाता है। जिसमें से रु. 150/- महाविद्यालय के पास रहेगा तथा शेष रु. 50/- विश्वविद्यालय को भेजा जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

Digitally signed by

FABIOLA BARA

Date: 15-06-2026

16:42:49

(फबिओला बड़ा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठा. क्र. GENS/20440/2026/38-2  
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर अटल नगर, दि. 15.06.2026

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, महानदी भवन, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर,
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. गार्ड फाईल।

Digitally signed by

FABIOLA BARA

Date: 15-06-2026

16:43:34

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग